प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
सुलतानपुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)
नई दिल्ली।

पत्रांक–रा0प्र0 / 80-81 / 2024–25 दिनांक– 03-04-2024

विषय – राजकीय अभिनव विद्यालय टिकरी पन्ना, भदैयां, सुलतानपुर (उ0प्र0) की सम्बद्धता विस्तार हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि प्रमुख सचिव, शिक्षा अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–27 / 2015 / 2039 / 15–7–2015–1(299) / 2007 लखनऊ दिनांक–11 दिसम्बर, 2015 द्वारा ''समाजवादी अभिनव विद्यालय योजना'' के अन्तर्गत सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 18 विद्यालयों को पूर्व में ही अनापत्ति (NOC) व्यक्त की जा चुकी है, जिसके क्रम में राजकीय अभिनव विद्यालय टिकरी पन्ना, भदैयां, सुलतानपुर (उ0प्र0) को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता प्रदान की गयी, जिसका Affiliation No.-2120023 तथा सम्बद्धता अवधि–31.03.2025 है।

अतः आपसे आग्रह है कि संलग्न शासनादेश का सन्दर्भ ग्रहण करते हुए पूर्व में प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुक्रम में राजकीय अभिनव विद्यालय टिकरी पन्ना, भदैयां, सुलतानपुर (उ0प्र0) (Affiliation No.-2120023) की सम्बद्धता विस्तार (Affiliation Extension) किये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,
03/04/24
जिला विद्यालय निरीक्षक
सुलतानपुर।

पृ0सं0–रा0प्र0 / / 2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– प्रधानाचार्य, राजकीय अभिनव विद्यालय टिकरी पन्ना, भदैयां, सुलतानपुर को उनके पत्र दिनांक–22.03.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला विद्यालय निरीक्षक
सुलतानपुर।

संख्या-27/2015/2039/15-7-2015-1(299)/2007

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2015

विषयः- सी0बी0एस0ई0बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्वता के संबंध में निर्गत होने वाले आवेदन शुल्क को मुक्त किये जाने एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने संबंधी मानक को शिथिल करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-16902/2015-16, दिनांक 27.11.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सी0बी0एस0ई0बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्वता के संबंध में निर्गत होने वाले अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधी आवेदन शुल्क को मुक्त किये जाने एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने संबंधी मानक को शिथिल करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु 191 मॉडल स्कूलों, जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, को सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-1159/15-7-2015-1(23)/2014, दिनांक 28 सितम्बर, 2015 निर्गत किया गया है। उक्त 191 मॉडल स्कूलों में से प्रदेश के 18 मण्डल मुख्यालय के जनपद में स्थित कुल 18 विद्यालयों को "समाजवादी अभिनव विद्यालय योजना" के अन्तर्गत आवासीय सह शिक्षा विद्यालय के रूप में संचालित किये जाने का निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। ये विद्यालय पूर्णतयाः राजकीय होंगे। शेष 173 विद्यालय सार्वजनिक व निजी भागीदारी मॉडल (पी0 पी0पी0 मोड) पर संचालित होंगे। चूंकि उक्त 191 (173+18) नवनिर्मित विद्यालयों का संचालन शैक्षिक सत्र 2016-17 से ही प्रारम्भ किया जाना है अतः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में होने वाले प्रक्रियात्मक विलम्ब से बचने हेतु सम्यक विचारोपरांत उक्त 191 मॉडल स्कूलों को सी0बी0एस0ई0बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क से मुक्ति प्रदान करते हुये शिथिलीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त के साथ ही नवनिर्मित इन 191 विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु राज्य सरकार की अनापत्ति भी व्यक्त की जाती है।

3- उक्त 191 विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्वीकरण/मान्यता हेतु शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0 लखनऊ को सी0बी0एस0ई0बोर्ड नई दिल्ली से यथावश्यक पत्राचार/समुचित अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

कृपया तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।
(173+18=191 विद्यालयों की सूची)

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।